



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062025-264075  
CG-DL-E-24062025-264075

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452|  
No. 452|

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून 2025

फा.सं.आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-खासुमाप्रा-पार्ट(1).- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उपधारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में,

- क्र. सं. 57 का विलोप किया जाएगा;
- क्र. सं. 75 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित स्तंभों में रखा जाएगा, अर्थात:-

| क्र. सं. | केंद्रीय खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम | पोस्टिंग का स्थान | अधिकार क्षेत्र                                      |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---|
| “76      | श्री मादलिया मीत दिनेशभाई             | पूर्वी क्षेत्र    | पूर्वी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश” |

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./185/2025-26]

**टिप्पण-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासंमाप्रा., तारीख 2 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं.आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा, दिनांक 17 फरवरी 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20<sup>th</sup> June, 2025

**RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI-part(1)** -In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Central Food Safety Officers for the area mentioned against each with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 2nd September, 2021:-  
In the table;

(1) Sr. no. 57 shall be omitted;

(2) after Sr. no. 75, the following entries shall be inserted in the respective columns namely,-

| Sr. No. | Name of CFSOs                | Place of Posting | Area of Jurisdiction             |
|---------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| “76     | Sh. Madaliya Meet Dineshbhai | Eastern Region   | States/UTs under Eastern Region” |

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer  
[ADVT.-III/4/Ext./185/2025-26]

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated the 2nd September, 2021 and last amended vide notification F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI dated 17th February, 2025.